उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

UPPCL

संख्या : 3351-औस/2012-89 ए०एस०/96 दिनांक: 22 अक्टूबर, 2012

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल, पूर्वान्चल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

विषय:- विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० एवं बिजली मजदूर यूनियन, उ०प्र० द्वारा बिजली कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न किये जाने के विरोध में दिनांक 05.11.2012 की प्रथम पाली से अनिश्चिकालीन हड़ताल की नोटिस के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० एवं उनके समर्थन में बिजली मजदूर यूनियन, उ०प्र० ने दिनांक 05.11.2012 की प्रथम पाली से अनिश्चिकालीन हड़ताल करने की नोटिस दिया है। विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० एवं बिजली मजदूर यूनियन, उ०प्र०_का यह कार्य अनुचित व अवैधानिक है।

2- आप विदित है कि उ०प्र० शासन ने उ०प्र० अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या-947/24-पी-2-12-1(121)/04, दिनांक 15 जून, 2012 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्धि की है, जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन मुख्यालय के पृष्ठांकन संख्या-1849-औस/2012, दिनांक 18.06.2012 द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हड़ताल करना, उकसाना व कार्यो में व्यवधान आदि उत्पन्न करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः विद्युत मजदूर पंचायत, उ०प्र० एवं बिजली मजदूर यूनियन, उ०प्र० द्वारा दिनांक 05.11.2012 की प्रथम पाली से प्रस्तावित अनिश्चिकालीन हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयत्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा आवश्यतानुसार जिला प्रशासन से सम्पर्क कर इस दिशा में सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित हड़ताल की अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश आदि न स्वीकृत किया जाय तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-929-औस-17/पाकलि/2001-3-ए/79, दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ए०के० सिंह)
निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

................2/-

UNION/549

संख्याः 3351–(1) औस/पाकालि/2012–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाऐं पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क0सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु ।
7. कट फाइल।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)

UNION/ 550